राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 379/2024
लीला राम जाट

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक, (कृषि विस्तार) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप निदेशक, उद्यान अलवर से उप निदेशक, कृषि, (सामान्य) कार्यालय अति. निदेशक, कृषि (तिलहन), भरतपुर खण्ड, भरतपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में या प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण किया गया है। नियमानुसार स्थानान्तरण आदेश में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि स्थानान्तरण लोकहित में या प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश में चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण लोकहित में अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किये जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसे में आदेश नियम विरूद्ध है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. आलोच्य आदेश अपीलार्थी एवं 114 अन्य अधिकारियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित है, जो राजस्थान कृषि सेवा के अधिकारी है। आदेश संयुक्त शासन

सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) के द्वारा पारित किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में यह उल्लेख नहीं होने से कि स्थानान्तरण राज्यहित एवं लोकहित में किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं होते हुए भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो। स्थानान्तरण आदेश को लोकहित में अथवा प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही पारित किया जाना माना जा सकता है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)